(हीरालाल अलावा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

——000 **निर्णय** 000——

(आज दिनांक 15/12/22 को घोषित व पारित)

(1) अभियुक्तगण के द्वारा अपना अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया गया। उनकी स्वीकारोक्ति स्वेच्छिक होने से न्यायालय संतुष्ट हैं। अतः उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को धारा–13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के आरोप में एवं दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है, तथा अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होने से उन्हें धारा–13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के आरोप में प्रत्येक अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं राशि रूपये 100–100/– रूपये के अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 07 दिवस के सश्रम करावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(2) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति राशि रूपये 1950/-रु. राजसात कर कोषालय में जमा हो तथा शेष सम्पत्ति ताशपत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित व पारित, दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया ।

15/12/22
(हीरालाल अलावा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)
न्या0मजि0प्रथम श्रेणी भोपाल

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

15/12/22
(हीरालाल अलावा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)
न्या0मजि0प्रथम श्रेणी भोपाल